

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

आवेदन क्रमांक

BIJ00002246

आवेदन दिनांक

23 Jun 2026

भवन का विवरण

भवन का प्रकार : Educational Buildings / शैक्षणिक परिसर (स्कूल, सीनियर सेकंडरी स्कूल अन्य ट्रेनिंग संस्थान)--Having height less than 9mtr but having built-up area 1000sqmtr & above (OR) Having ground plus two upper stories including mezzanine floor

परिसर का नाम KENDRIYA VIDYALAYA BIJAPUR

व्यवसाय का प्रकार : EDUCATIONAL INSTITUTE

भवन का पता : KENDRIYA VIDYALAYA BIJAPUR, KOTTAPAL, NEAR EDUCATION CITY, DISTT.- BIJAPUR, CHHATTISGARH 494444

आवेदक का विवरण

आवेदक का नाम : KENDRIYA VIDYALAYA BIJAPUR

पिता/पति का नाम : KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

मोबाइल नंबर : 7648840004 ईमेल आईडी : bijapurcgkv@gmail.com

आवेदक का पता : KENDRIYA VIDYALAYA BIJAPUR, KOTTAPAL, NEAR EDUCATION CITY, DISTT.- BIJAPUR, CHHATTISGARH 494444

संलग्न दस्तावेज़

भवन निर्माण का पंजीयन प्रमाण पत्र

भवन निर्माण की अनुज्ञा प्रमाण पत्र

घोषणा

मेरे द्वारा दी गयी जानकारी पूरी तरह सत्य है, यदि किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाये जाने की स्थिति में अग्निशमन प्रमाण पत्र निरस्त करने पर विचार किया जा सकता है, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी मेरी होगी।

आवेदन दिनांक

23 Jun 2026

स्थान

बीजापुर

आवेदक का नाम

KENDRIYA VIDYALAYA BIJAPUR

मोबाइल नं°

7648840004

ईमेल आईडी

bijapurcgkv@gmail.com

नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय
सेक्टर - 19 अटल नगर नवा रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र

क्रमांक /00/ BIJ00016890 /फायर सर्विस / एन॰ओ॰सी॰ / 2025 / बीजापुर

दिनांक : 04/06/2025

प्रमाणित किया जाता है कि श्री Arun Kumar Shukla के परिसर Kendriya vidyalaya Bijapur Near Education City National Highway Road में स्थित Kendriya vidyalaya Bijapur का इस विभाग के निरीक्षणकर्ता अधिकारी श्री संतोष मार्बल द्वारा श्री श्री दशरथ की उपस्थिति में दिनांक 28/05/2025 को राष्ट्रीय भवन संहिता भाग-IV 2016 के अनुसार अग्नि निवारण एवं अग्नि से बचाव संबंधित उपकरण एवं प्रणाली का निरीक्षण किया गया एवं संतोषजनक पाया गया। अतः निम्न शर्तों के अधीन एक वर्ष अवधि के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें

- 1 सभी अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपकरण/प्रणाली, निकास द्वार व्यवधान रहित एवं हमेशा अच्छी हालत में रखा जाए। इसमें किसी प्रकार की चूक के लिए प्रबंधन जवाबदार होगा।
- 2 अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात भवन में विस्तार एवं अन्य कार्य किया जाता है तो इस प्रमाण पत्र को निरस्त माना जावेगा।
- 3 अग्निशमन प्रणाली/उपकरणों को प्रचालित करने के संबंध में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाए एवं नियमित रूप से आपदा की स्थिति में बाहर निकलने का माक ड्रिल कर इसका रिकार्ड बना कर रखा जावे।
- 4 बेसमेंट का उपयोग करने में बिल्डिंग बाय लॉज का कड़ाई से पालन किया जावे।
- 5 मकान मालिक/कबजाधारी प्रतिवर्ष अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा की स्थिति के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे, जो पुनः निरीक्षण योग्य होंगे।
- 6 अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से Kendriya vidyalaya Bijapur में स्थापित सभी उपकरण हमेशा सुचारु रूप से चालू रखने की ज़िम्मेदारी पूर्णतः Arun Kumar Shukla की होगी जिसके लिए नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय छत्तीसगढ़ की कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं रहेगी।
- 7 निरीक्षण टीम की अनुशंसा अनुसार संस्था में बिजली कनेक्शन स्कूल प्रारंभ होने के पूर्व पूर्ण करने तथा प्रत्येक 15 मीटर पर फायर एक्सटिंग्यूशर, मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक फायर अलार्म सिस्टम स्थापित करने की शर्त पर संस्था को अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।



जारी दिनांक : 04/06/2025


निदेशक
ट्रेनिंग ऑपरेशन
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर